


कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर

आबकारी अधिकारियों के निर्धारित निरीक्षण नामस

-परिच्छेद- 'ब'

(ख) अधिक महत्वपूर्ण अनुज्ञप्तियां :-

क्रमांक	अनुज्ञप्ति का प्रकार	निरीक्षण कर्ता अधिकारी का पद	निरीक्षणों की संख्या
1.	डी-1 एवं इसके साथ दिए गए एफ.एल.9, एफ.एल. 9, 9-क, लायसेंस यदि इनके प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.सर्वो) हैं।	1. उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी (संभागीय उड़नदस्ता)	वर्ष में एक बार
2.	डी-1, एवं इसके साथ दिए गए एफ.एल.9,9-क, लायसेंस यदि इनके प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के पद से नीचे के अधिकारी हैं।	1. उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी (संभागीय उड़नदस्ता)	वर्ष में एक बार
		2. जिले के सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	वर्ष में एक बार
3.	स्वतंत्र रूप से दिए गए एफ.एल. 10 लायसेंस	1. उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी (संभागीय उड़नदस्ता)	वर्ष में एक बार
		2. जिले के सहायक आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार


 (गजेशंकर मिश्रा)
 आबकारी आयुक्त
 उ.म. रायपुर